अपील भरण पोषण संख्या 10/2019 (RCMS 2019/00210) श्री पन्नालाल पुत्र जयराम निवासी मकान नम्बर 42–ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1. बादल कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी मकान नम्बर 42–ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. रीता पत्नी बादल निवासी 42–ए, गली नम्बर 3. देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. सिद्धार्थ पुत्र बादल निवासी 42–ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 4. माया पुत्री बादल निवासी 42–ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पन्नालाल को बार बार आवाज लगाने के बाद उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 01 बादल और रेस्पोडेंट संख्या 03 सिद्धार्थ उपस्थित नहीं है। उक्त दोनों के नोटिस वापिस प्राप्त नहीं हुए है। रेस्पोडेंट संख्या 02 रीता पत्नि बादल एवं रेस्पेडेंट संख्या 4 माया पुत्री बादल उपस्थित आये।

रेस्पोडेंट संख्या 02 रीता ने प्रार्थना की कि वह पुत्र पन्नालाल की पुत्रवधु है और भरण पोषण अधिनियम के तहत पुत्र वधु संतान की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 02 का यह भी कथन है कि अपीलार्थी उपस्थित नहीं है उसने यह अपील उसके सारे परिवार को गलत रूप से परेशान करने के लिए पेश की है इसलिए उसके उपस्थित न आने के कारण भी यह अपील खारिज की जाये।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.219 को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत पेश किया जिसमें उसने निम्न प्रार्थना की थी :

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 5 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण से भूखण्ड संख्या 42 पैमाईशी 12.6गुणा 40 से बेदखल कर प्रार्थी के मकान को खाली करवाया जाकर शेष जीवन शांति पूर्वक व्यतीत कर से। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय ने निम्न दिनांक 09.08.2019 को निम्न आदेश पारित किया था

दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी के मकान से अप्रार्थी को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से भरण पोषण की कोई मांग नहीं की गई है और ना ही उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश किया गया है जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति भरण पोषण की शर्तो के अधीन अप्रार्थीगण को दी गई हो। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी की पुत्र वधु है तो संतान की परिभाषा में नही आती है इसलिए उसके विरूद्ध इस अधिनियम में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 से किसी भी प्रकार के भरण पोषण की मांग नही की गई है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहां तक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। वह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सीविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.08.219 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें रीता पत्नी बादल के उक्त तर्क पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील पन्नालाल द्वारा अपने पुत्र बादल कुमार, रीता पत्नी बादल जो पन्नालाल की पुत्रवधु है तथा सिद्धार्थ पुत्र बादल एवं माया पुत्री बादल जो कि पन्नालाल के पोता और पोती है जो की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से होने प्रतीत होते है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की परिभाषा में पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु इसमें अव्यस्क सम्मिलित नहीं है। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंटस की आयु का उल्लेख नहीं है, जिससे पौत्र प्रहलाद एवं पौत्री माया के व्यस्क/अव्यस्क होने का पता नहीं चलता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुत्रवधु संतान की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिए उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

चूंकि अपीलार्थी पन्नालाल को बार–बार आवाज लगाने पर अपीलार्थी पन्नालाल स्वयं अथवा उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उसे अब इस मामले में आगे कार्यवाही जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए इस अपील में आगे कोई कार्यवाही करना उचित नही रहेगा। अतः अपीलार्थी पन्नालाल के उपस्थित होकर पैरवी न करने के कारण यह अपील इसी आधार पर ही खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति एवं मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलार्थी एवं रस्पोडेंट को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर